

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) बिहार, पटना का कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-16.02.2018 के द्वारा निम्नांकित 05 (पाँच) पर्यवेक्षकीय कर्मियों की सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सौंपी गयी है, कि सेवा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) बिहार, पटना के आदेश निर्गत की तिथि 16.02.2018 से अगले एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना को सौंपी जाती है। संबंधित कर्मी अपना योगदान बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लि०, बिहार, पटना में अविलम्ब समर्पित करेंगे :-


क्र०सं०	नाम / पदनाम	पदस्थापन
1	2	3
1	श्री अनिल कुमार/कनीय सांख्यिकी सहायक	बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना
2	श्री अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव/कनीय सांख्यिकी सहायक	बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना
3.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा/कनीय सांख्यिकी सहायक	बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना
4.	मो० शकील अहमद/कनीय सांख्यिकी सहायक	बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना
5.	श्री उदय नारायण प्रसाद/कनीय सांख्यिकी सहायक	बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(प्रतिभा सिन्हा)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


ज्ञापांक- प्र०३-(मु०)-०४/२०१७(पार्ट) 1065 खाद्य, पटना/दिनांक- 28.02.18
प्रतिलिपि- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- प्र०३-(मु०)-०४/२०१७(पार्ट) 1065 खाद्य, पटना/दिनांक- 28.02.18
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- प्र०३-(मु०)-०४/२०१७(पार्ट) 1065 खाद्य, पटना/दिनांक- 28.02.18
प्रतिलिपि- संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेश है कि शीघ्र बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम में योगदान देना सुनिश्चित करें।


विशेष कार्य पदाधिकारी।